order sheet

आदेश पत्रक
(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

समदर सिह पुत्र मामराज जाति– जाट निवासी खरींटा की ढाणी ,बुगाला	–बनाम–	राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार तहसील नवलगढ।
किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र अं.धारा 136 आर.टी.ए.		मु.नं. 13/2020

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
16.03.2020	आज यह प्रार्थना पत्र समदर सिह पुत्र मामराज जाति– जाट निवासी खरींटा की ढाणी ,बुगाला द्वारा विरूद्ध अनावेदक राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार तहसील नवलगढ अं.धारा 136 आर.टी.ए. का पेश किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि मेरा नाम ग्राम खरीटों की ढाणी कि जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता सं. 65 के रिकार्ड मे समदरलाल पुत्र मामराज हि. 1/6 जाति– जाट दर्ज है। मेरा अधार कार्ड, वोटर आईडी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका मे मेरा नाम समदरसिह पुत्र मामराज है जो सही है। मै मैरा नाम समदरलाल पुत्र मामराज के स्थान पर समदरसिह पुत्र मामराज जाति जाट करवाना चाहता हूँ। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रा0 पत्र के साथ तहसीलदार कि रिर्पोट मय अभिशंषा पेश की गयी। जिसके अनुसार ग्राम खरीटों की ढाणी कि जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता सं. 65 मे प्रार्थी का नाम समदरलाल पुत्र मामराज जाति– जाट हिस्सा 1/6 दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात आधारकार्ड, वोटर आईडी कार्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका मे समदरसिह पुत्र मामराज के नाम के बने हुये है। अतः प्रार्थी का नाम समदरसिह पुत्र मामराज किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एव तहसीलदार नवलगढ की रिर्पोट का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् व राजस्व रिकार्ड का मनन किया गया । अतः तहसीलदार नवलगढ की अभिशंषा, रिर्पोट एंव प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध रिकार्ड अनुसार ग्राम खरीटों की ढाणी कि जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता सं. 65 मे प्रार्थी का नाम समदरलाल पुत्र मामराज जाति– जाट हिस्सा 1/6 कि जगह समदरसिह पुत्र मामराज जाति जाट हिस्सा 1/6 दर्ज किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र 136 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खरीटों की ढाणी कि जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता सं. 65 मे प्रार्थी का नाम समदरलाल पुत्र मामराज जाति– जाट हिस्सा 1/6 कि जगह समदरसिह पुत्र मामराज जाति जाट हिस्सा 1/6 दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार को इस आशय की तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 16/3/2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया। M.L.Sharma उपखण्ड अधिकारी नवलगढ	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.07.24 11:01:43 IST
Reason: SelfAttested